



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 9, 2015
(PHALGUNA 18, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 9th March, 2015

No. 3—HLA of 2015/13.—The Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Bill 2015 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 3—HLA of 2015

THE HARYANA GAUVANSH SANRAKSHAN AND GAUSAMVARDHAN BILL, 2015

A

BILL

to provide for Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan and to establish institutions to accept, keep, maintain and care the infirm, injured, stray and uneconomic cows in the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follow:—

1. This Act may be called the Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act, 2015. Short title.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions.
 - (a) “beef” means flesh of cow in any form including flesh of cow contained in sealed containers and imported in the State;

Price : Rs. 5.00

(517)

- (b) “beef-products” means products prepared from beef;
- (c) “cow” means and includes a bull, bullock, ox, heifer or calf and a disabled, diseased or barren cow;
- (d) “competent authority” means the concerned Sub-divisional Magistrate and includes any other officer appointed by the Government for exercising the powers under this Act;
- (e) “Department” means the Animal Husbandry Department of the Government;
- (f) “export” means taking out of cow from the State to any other place;
- (g) “Gauvansh” means cow or its progeny;
- (h) “Gausamvardhan” means conservation and development of indigenous breeds of cow;
- (i) “Government” means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
- (j) “indigenous breed” means the indigenous cow population which is recognized as a breed by Breed Registration Committee of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, from time to time;
- (k) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;
- (l) “sanrakshan” means protection and conservation of Gauvansh;
- (m) “slaughter” means killing by any method whatsoever and includes maiming and inflicting of physical injury which in the ordinary course may cause death;
- (n) “State” means the State of Haryana.

Prohibition of
cow slaughter.

3. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any usage or custom to the contrary, no person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter any cow in any place in the State:

Provided that killing of a cow in an accident or self defence shall not be considered as slaughter under the Act.

Exceptions.

4. (1) Nothing contained in section 3 shall apply to the slaughter of a cow where a certificate has been issued in the prescribed form by the Registered Veterinary Practitioner of the department in the area for a cow,—

- (a) whose suffering is such so as to render its destruction desirable; or
- (b) who is suffering from any notified contagious or infectious disease; or
- (c) who is subjected to experimentation in the interest of medical, veterinary and public health research.

(2) Where it is intended to slaughter a cow for the reasons specified in sub-section (1) above, it shall be incumbent for a person doing so to first obtain the certificate in writing as mentioned under the said sub-section.

5. No person shall export or cause to be exported cow for the purpose of slaughter either directly or through his agent or servant or any other person acting on his behalf in contravention of the provisions of this Act or with the knowledge that it shall be or is likely to be slaughtered. Restriction on export.

6. (1) Any person desiring to export cow shall apply for a permit to such officer, as the Government may, by notification, appoint in this behalf, stating the reasons for which they are to be exported together with the number of cows and the name of the State to which they are proposed to be exported. He shall also file a declaration that the cows for which the permit for export is required shall not be slaughtered and obtain permit, in such form, as may be prescribed. Permit for export.

(2) The officer appointed under sub-section (1), after satisfying himself about the genuineness of the request of the applicant, shall grant him a permit for the export of cows specified in the application.

(3) The fee for issuing permits shall be such, as may be prescribed.

(4) No permit for export of cows shall be issued for a State where cow slaughter is not banned by law.

7. (1) The Government shall have power to issue special permits for export of cow in case where it is of the opinion that it shall be in the public interest to do so. Special permit.

(2) The fee for issuing special permits shall be such, as may be prescribed.

8. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall sell or offer for sale or cause to be sold beef or beef products except for such medicinal purposes and in such form as may be prescribed. Prohibition of sale of beef.

9. The Government shall make scheme, project or program for the conservation and up-gradation of indigenous breeds of cow and provide incentives on production, processing and marketing of milk or milk products obtained from indigenous breeds of cows. Gausamvardhan.

10. (1) The Government, or a local authority when so directed by the Government, shall establish an institution to accept, keep, maintain and care the infirm, injured, stray and uneconomic cows. Establishment of institution.

(2) The Government shall provide adequate financial and technical support to such institution.

11. The State Government, or a local authority if so authorized by the Government, may levy such fee, as may be prescribed to accept, keep, maintain and care the infirm, injured, stray and uneconomic cows in the institution. Levy of charges of fee.

12. (1) The Government shall establish laboratories for differentiation of beef from that of the meat of other species of animals, testing and identification of various constituents of milk and milk products and testing and differentiation of Establishment of laboratories for testing and analysis.

A1 and A2 milk for providing incentives for wholesome production of milk and milk products.

Explanation.-For the purposes of this sub-section, A1 and A2 milk means the milk obtained from cows having A1 and A2 genetic variant of the beta-casein milk protein respectively.

(2) The analysis report of such laboratories established under sub-section (1) shall be used as evidence in any inquiry, trial or other proceedings under this Act.

Offences.

13. (1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or 4 shall be guilty of an offence punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years and may extend to ten years and fine which shall not be less than thirty thousand rupees and may extend to one lac rupees. In case of default in payment of fine, additional imprisonment, which may extend to one year, may be imposed in lieu of the fine.

(2) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 5 shall be guilty of an offence punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years and may extend to seven years and fine which shall not be less than thirty thousand rupees and may extend to seventy thousand rupees. In case of default in payment of fine, additional imprisonment which may extend to one year may be imposed in lieu of the fine.

(3) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 8 shall be guilty of an offence punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years and may extend to five years and fine which shall not be less than thirty thousand rupees and may extend to fifty thousand rupees. In case of default in payment of fine, additional imprisonment which may extend to one year may be imposed in lieu of the fine.

Burden of proof.

14. In a trial for an offence punishable under section 13, the burden of proving that the slaughtered cow belonged to the class specified in clause (a), (b) or (c) of sub-section (1) of section 4, shall be on the accused.

Offences to be cognizable and non-bailable.

15. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), an offence punishable under section 13 shall be cognizable and non-bailable.

Power to enter, seize etc.

16. (1) Any police officer not below the rank of Sub Inspector or any person authorized in this behalf by the Government, with a view to secure compliance with the provisions of this Act or for satisfying himself that the provisions of this Act have been complied, may—

- (a) enter, stop and search any vehicle used or intended to be used for the export of cows;

- (b) seize cow in respect of which he suspects that any provision of this Act has been, is being or is about to be contravened, alongwith the vehicle in which such cow is found, and thereafter take all measures necessary for securing the production of the cow so seized, in a court and for the safe custody pending such production;
- (c) enter and search any premises used or intended to be used for the slaughter of cow and seize any documents regarding activities related to slaughter and export of cow;

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 20 of 1974), relating to search shall, so far as may be, apply to search and seizure under this Act.

17. (1) Whenever an offence punishable under this Act has been committed, any vehicle used in the commission of such offence shall be liable to be confiscated by a police officer not below the rank of Sub-Inspector or any person authorized in this behalf by the Government. Confiscation of vehicles.

(2) Where any vehicle referred to in sub-section (1) is confiscated in connection with the commission of any offence punishable under this Act, a report about the same, without unreasonable delay, be made by the person seizing it to the competent authority and whether or not a prosecution is instituted for commission of such offence, the competent authority, having jurisdiction over the area where the said vehicle was confiscated, may, if satisfied that the said vehicle was used for commission of offence under this Act, order confiscation of the said vehicle:

Provided that before ordering confiscation of the said vehicle, a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the owner of the said vehicle.

(3) Whenever any vehicle as referred to in sub-section (1) is confiscated in connection with commission of an offence under this Act then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no Court, Tribunal or other authority, except the competent authority, shall have jurisdiction to make order with regard to the possession, delivery, disposal, release of such vehicle.

(4) Where the competent authority is of the opinion that it is expedient in public interest that the vehicle, as referred to in sub-section (1),

confiscated for commission of offence under this Act be sold by public auction, he may at any time direct it to be sold:

Provided that before giving such directions for sale of confiscated vehicle, a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the owner of the said vehicle.

(5) Any person aggrieved by an order made by the competent authority under sub-section (2) or sub-section (4) may, within a period of thirty days from the date of such order, prefer an appeal to the Deputy Commissioner of the district concerned.

(6) Any order of confiscation made by the competent authority shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.

Protection of
action taken in
good faith.

18. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Power to make
rules.

19. (1) The State Government may make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of foregoing powers, such rules may provide for,—

- (a) the conditions and the circumstances under which a cow may be slaughtered under section 4;
- (b) the manner in which disease shall be notified under clause (b) of section 4;
- (c) the manner in which permission shall be obtained under section 4;
- (d) the form and contents of the certificate mentioned in section 4 and the authorities competent to grant it;
- (e) the form in which the permit is to be granted and the fee in respect of issuing such permit under sections 6 and 7;
- (f) the manner in which and conditions under which beef or beef products are to be sold under section 8;

- (g) the matters relating to the establishment, maintenance, management, supervision and control of institution referred to in section 10;
- (h) the duties of any officer or authority having jurisdiction under this Act, the procedure to be followed by such officer or authority; and
- (i) any other matter which is to be and may be prescribed.

20. (1) The Punjab Prohibition of Cow Slaughter Act, 1955 (Punjab Act No.15 of 1956) as applicable to the State of Haryana is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the repealed Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

(3) The Haryana Prohibition of Cow Slaughter Rules, 1972 framed under the said Act shall be deemed to have been framed under this Act till new rules are framed under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The object and purpose of the Bill is to prohibit the slaughter of cow and its progeny, conserve and develop indigenous breeds of Cows and to establish institutions to keep, maintain and care the infirm, injured, stray and uneconomic cows in the State. Presently, “The Punjab Prohibition of Cow Slaughter Act, 1955” applicable in the State of Haryana as amended from time to time, is in force. This Act in its present form has proved to be ineffective as conviction rate is quite low.

In view of the strong socio-religious sentiments of the general public at large, the State Government is committed to strengthen the prohibition of Cow slaughter in the State and make schemes, projects and programmes for the conservation and development of the indigenous breeds of cows. Hence, a comprehensive bill encompassing Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan has been drafted which entails repealing of the existing Act and provide for stricter penalties for various offences. Accordingly, “The Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Bill, 2015” is being introduced in the ensuing session of the Haryana Vidhan Sabha for consideration and approval.

OM PRAKASH DHANKAR,
Animal Husbandry & Dairying Minister,
Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 9th March, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As per section 9 of the “The Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act, 2015”, there is a provision of providing incentives on production, processing and marketing of milk or milk products obtained from indigenous breeds of cows. The expenditure for this shall be defrayed from Haryana Government Treasury.

2. As per section 10 of the “The Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act, 2015”, there is a provision to provide adequate financial and technical support to establishment of Institution to accept, keep, maintain and care the infirm, injured, stray and uneconomic cows. The expenditure for this shall be defrayed from Haryana Government Treasury.

3. As per section 12 of the “The Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act, 2015”, there is a provision for establishment of Laboratories for differentiation of beef from that of the meat of other species of animals, testing and identification of various constituents of milk and milk products and testing and differentiation of A1 and A2 milk for providing incentives for wholesome production of milk and milk products. The expenditure for this shall be defrayed from Haryana Government Treasury.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

As per section 19 of the proposed Act empowers State Government to frame rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 का विधेयक संख्या 3-एच.एल.ए.

हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक, 2015
हरियाणा राज्य में गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन उपलब्ध
करवाने हेतु तथा दुर्बल, घायल, घुमंतू तथा
अलाभकर गायों को स्वीकार करने, रखने,
रख-रखाव करने तथा देख-रेख
करने हेतु संस्थाएं स्थापित
करने के लिए
विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन अधिनियम, 2015, कहा संक्षिप्त नाम। जा सकता है।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

- (क) "गोमांस" से अभिप्राय है, किसी भी रूप में गाय का मांस इसमें मुहरबन्द डिब्बों में रखा तथा राज्य में आयातित गाय का मांस भी शामिल है ;
- (ख) "गोमांस उत्पाद" से अभिप्राय है, गोमांस से तैयार किया गया उत्पाद ;
- (ग) "गाय" से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल है सांड, बैल, वृषभ, बछिया या बछड़ा तथा निःशक्त, बीमार अथवा बांझ गाय ;
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है ;
- (ङ) "विभाग" से अभिप्राय है, सरकार का पशुपालन विभाग ;
- (च) "निर्यात" से अभिप्राय है, राज्य से किसी अन्य स्थान पर गाय को बाहर ले जाना ;
- (छ) "गौवंश" से अभिप्राय है, गाय या इसकी सन्तान ;
- (ज) "गौसंवर्धन" से अभिप्राय है, देशी गाय की नस्ल का संरक्षण तथा विकास;
- (झ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

- (ज) "देशी नस्ल" से अभिप्राय है, देशी गाय जीवसंख्या जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की नस्ल पंजीकरण समिति द्वारा समय-समय पर नस्ल के रूप में मान्यताप्राप्त है ;
- (ट) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;
- (ठ) "संरक्षण" से अभिप्राय है, गोवंश की सुरक्षा तथा संरक्षण ;
- (ड) "वध" से अभिप्राय है, किसी भी ढंग द्वारा, चाहे जो भी हो, हत्या करना और इसमें शामिल है विकलांग करना तथा शारीरिक क्षति की यातना पहुंचाना जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो सकती है ;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ।

गाय वध का प्रतिषेध ।

3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा किसी प्रथा अथवा रूढ़ि में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति राज्य में किसी भी स्थान पर किसी गाय का / को न तो वध करेगा अथवा न ही वध करवाएगा अथवा वध के लिए न तो पेश करेगा अथवा न ही पेश करवाएगा :

परन्तु दुर्घटना अथवा आत्म प्रतिरक्षा में किसी गाय की मृत्यु हो जाती है, तो इस अधिनियम के अधीन वध के रूप में नहीं समझी जाएगी ।

अपवाद ।

4. (1) धारा 3 में दी गई कोई भी बात, किसी गाय के वध के लिए लागू नहीं होगी, जहां किसी गाय के लिए क्षेत्र में विभाग के पंजीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विहित प्ररूप में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है कि,—

- (क) जिसकी पीड़ा ऐसी है कि उसका नाश वांछनीय हो गया है; अथवा
- (ख) जो किसी ऐसे अधिसूचित सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित है; अथवा
- (ग) जो चिकित्सा, पशु-चिकित्सक और जन स्वास्थ्य अनुसंधान के हित में प्रयोग के अधधीन है ।

(2) जहां उपरोक्त उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी गाय का वध आशयित है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रथम उक्त उप-धारा के अधीन यथा वर्णित लिखित में प्रमाण-पत्र प्राप्त करें ।

निर्यात पर प्रतिबन्ध ।

5. कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में या जानते हुए कि गाय का वध किया जाएगा या उसके वध किए जाने की सम्भावना है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वध के प्रयोजन के लिए गाय निर्यात नहीं करेगा या निर्यात नहीं करवाएगा ।

6. (1) गाय का निर्यात करने का इच्छुक कोई व्यक्ति गऊओं की संख्या तथा राज्य का नाम जिसे ये निर्यात की जानी प्रस्तावित हैं सहित कारण कथित करते हुए जिसके लिए ये निर्यात की जानी हैं, इस निमित्त ऐसे अधिकारी को, जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे, परमिट के लिए आवेदन करेगा। वह घोषणा भी करेगा कि गऊओं, जिनके निर्यात के लिए परमिट अपेक्षित है, का वध नहीं किया जाएगा और परमिट ऐसी रीति में प्राप्त करेगा, जो विहित की जाए।

निर्यात के लिए परमिट।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, आवेदक के निवेदन की प्रमाणिकता के बारे में अपनी सन्तुष्टि करने के बाद, आवेदन में विनिर्दिष्ट गऊओं के निर्यात हेतु उसको परमिट प्रदान करेगा।

(3) परमिट जारी करने के लिए फीस ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(4) उस राज्य के लिए गऊओं के निर्यात हेतु कोई परमिट जारी नहीं किया जाएगा जहां विधि द्वारा गाय वध प्रतिषिद्ध नहीं है।

7. (1) सरकार को ऐसे मामलों में गाय के निर्यात के लिए विशेष परमिट जारी करने की शक्ति होगी जहां उसकी राय में ऐसा करना लोक हित में होगा।

विशेष परमिट।

(2) विशेष परमिट जारी करने हेतु फीस ऐसी होगी जो विहित की जाए।

8. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति औषधीय प्रयोजनों के सिवाय तथा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, गोमांस या गोमांस उत्पादों का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय करने की पेशकश नहीं करेगा या विक्रय नहीं करवाएगा।

गोमांस के विक्रय का प्रतिषेध।

9. सरकार देशी गाय की नस्ल के संरक्षण और उन्नत करने के लिए स्कीम, परियोजना अथवा कार्यक्रम बनाएगी और देशी गायों की नस्ल से प्राप्त दूध या दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

गौसंवर्धन।

10. (1) सरकार, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, जब सरकार द्वारा ऐसा निर्देश किया जाए, दुर्बल, घायल, घुमंतू तथा अलाभकर गऊओं को स्वीकार करने, रखने, रख-रखाव करने तथा देखभाल करने हेतु संस्था स्थापित की जाएगी।

संस्था की स्थापना।

(2) सरकार ऐसी संस्था को पर्याप्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाएगी।

11. राज्य सरकार, अथवा स्थानीय प्राधिकरण, यदि सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए, संस्था में दुर्बल, घायल, घुमंतू तथा अलाभकर गऊओं को स्वीकार करने, रखने, रख-रखाव करने तथा देखभाल करने हेतु ऐसी फीस उद्गृहीत कर सकती है, जो विहित की जाए।

फीस के प्रभारों का उद्ग्रहण।

परीक्षण तथा
विश्लेषण हेतु
प्रयोगशालाओं की
स्थापना।

12. (1) सरकार पशुओं की अन्य जातियों के मांस से गोमांस के विभेदीकरण हेतु, दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के विभिन्न संघटकों के परीक्षण तथा पहचान और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के पौष्टिक उत्पादन को प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने हेतु क 1 और क 2 दुग्ध के परीक्षण तथा विभेदीकरण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी।

व्याख्या :- इस उपधारा के प्रयोजन हेतु, क 1 तथा क 2 दुग्ध से अभिप्राय है, क्रमशः बीटा-केसीन दुग्ध प्रोटीन के क 1 तथा क 2 भिन्न आनुवंशिक रखने वाली गऊओं से प्राप्त दुग्ध।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित ऐसी प्रयोगशालाओं की विश्लेषण रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन किसी जांच, विचारण अथवा अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाएगी।

अपराध।

13. (1) जो कोई भी धारा 3 अथवा 4 के उपबन्धों की उल्लंघना करता है या उल्लंघना का प्रयास करता है या उल्लंघना के लिए अवप्रेरित करता है, तो वह अवधि जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माना जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा और एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय अपराध का दोषी होगा। जुर्माने के भुगतान की चूक की दशा में, अतिरिक्त कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के बदले में अधिरोपित किया जाएगा।

(2) जो कोई भी धारा 5 के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, या उल्लंघना का प्रयास करता है या उल्लंघना के लिए अवप्रेरित करता है, तो वह अवधि जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माना जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा और सत्तर हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय अपराध का दोषी होगा। जुर्माने के भुगतान की चूक की दशा में, अतिरिक्त कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के बदले में अधिरोपित किया जाएगा।

(3) जो कोई भी धारा 8 के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, या उल्लंघना का प्रयास करता है या उल्लंघना के लिए अवप्रेरित करता है, तो वह अवधि जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के कठोर कारावास से तथा जुर्माना जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा और पचास हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय अपराध का दोषी होगा। जुर्माने के भुगतान की चूक की दशा में, अतिरिक्त कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के बदले में अधिरोपित किया जाएगा।

सबूत का भार।

14. धारा 13 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विचारण में, यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि वध की गई गाय धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क), (ख) अथवा (ग) में विनिर्दिष्ट वर्ग से सम्बन्धित थी।

अपराधों का संज्ञेय
तथा अजमानतीय
होना।

15. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, धारा 13 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।

16. (1) कोई पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से अथवा अपनी सन्तुष्टि करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है—

प्रवेश करने,
अभिग्रहण करने
इत्यादि की शक्ति।

(क) गऊओं के निर्यात के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किसी वाहन में प्रवेश कर सकता है, उसे रोक सकता है और छानबीन कर सकता है;

(ख) ऐसी गाय का, जिसके संबंध में उसे शंका है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है अथवा किया जाने वाला है, ऐसे वाहन सहित जिसमें ऐसी गाय पाई जाती है, अभिग्रहण कर सकता है, और उसके बाद इस प्रकार अभिग्रहण की गई गाय को न्यायालय में पेश करने को सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी पेशी के समय सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है;

(ग) गाय के वध के लिए प्रयोग किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकता है तथा छानबीन कर सकता है तथा गाय के वध और निर्यात से सम्बन्धित क्रियाकलापों के बारे में किन्हीं दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकता है;

(2) छानबीन से संबंधित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 100 के उपबन्ध, यथा सम्भव, इस अधिनियम के अधीन छानबीन तथा अभिग्रहण को लागू होंगे।

17. (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया जाता है, तो ऐसे अपराध की चूक में प्रयोग किया गया कोई वाहन किसी पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जब्त किए जाने का दायी होगा।

वाहनों की जब्ती।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की चूक के सम्बन्ध में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई वाहन जब्त किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट, इसे जब्त करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुचित देरी किए बिना सक्षम प्राधिकारी को की जाएगी और चाहे ऐसे अपराध की चूक के लिए अभियोजन संस्थित किया गया है अथवा नहीं, सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र जहां उक्त वाहन जब्त किया गया था की अधिकारिता रखने वाला, यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध की चूक के लिए उक्त वाहन प्रयोग किया गया था, तो वह उक्त वाहन को जब्त करने के आदेश कर सकता है :

परन्तु उक्त वाहन को जब्त करने का आदेश करने से पूर्व, उक्त वाहन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) जब कभी इस अधिनियम के अधीन अपराध की चूक के सम्बन्ध में उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई वाहन जब्त किया जाता है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकरण के सिवाय, किसी न्यायालय, अभिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण को ऐसे वाहन का कब्जा, सुपुर्दगी, निपटान, छोड़ने के सम्बन्ध में आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की राय है कि यह लोक हित में समीचीन है कि उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट, इस अधिनियम के अधीन अपराध की चूक के लिए जब्त किए गए वाहन को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, तो वह इसे बेचने के लिए किसी भी समय निर्देश कर सकता है :

परन्तु जब्त किए गए वाहन को बेचने के लिए ऐसे निर्देश देने से पूर्व, उक्त वाहन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) उप-धारा (2) अथवा उप-धारा (4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सम्बद्ध जिला उपायुक्त को अपील कर सकता है।

(6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया जब्ती का कोई आदेश किसी दण्ड की पीड़ा को नहीं रोकेगा जिससे उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

18. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

19. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यरूप देने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित का उपबन्ध किया जा सकता है,—

- (क) शर्तें तथा परिस्थितियां, जिनके अधीन धारा 4 के अधीन गौ-वध किया जा सकता है ;
- (ख) रीति, जिसमें धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन बीमारी अधिसूचित की जाएगी ;
- (ग) रीति, जिसमें धारा 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी ;
- (घ) धारा 4 में वर्णित प्रमाण-पत्र का प्ररूप तथा अन्तर्वस्तु तथा उसे प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ;

- (ड) प्ररूप जिसमें परमिट प्रदान किया जाना है तथा धारा 6 तथा 7 के अधीन ऐसा परमिट जारी करने के संबंध में फीस ;
- (च) रीति, जिसमें तथा शर्तें जिनके अधीन धारा 8 के अधीन गोमांस अथवा गोमांस उत्पादों का विक्रय किया जाना है ;
- (छ) धारा 10 में निर्दिष्ट संस्था की स्थापना, देख-रेख, प्रबन्धन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण से सम्बन्धित मामले ;
- (ज) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य, ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;
- (झ) कोई अन्य मामले जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

20. (1) पंजाब गौ-वध प्रतिषेध अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम 1956), हरियाणा राज्यार्थ, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

(3) उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए हरियाणा गौ-वध प्रतिषेध नियम, 1972, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन नये नियम नहीं बनाए जाते हैं।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

इस बिल का उद्देश्य हरियाणा राज्य में गाय तथा गौवंश के वध निषेध तथा देसी नस्ल की गायों का संरक्षण एवम् विकास तथा अक्षम, घायल, असहाय तथा अर्थहीन गायों की प्राप्ति, रख-रखाव व देखभाल के लिए संस्थाओं की स्थापना करना है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में "पंजाब गौवध निषेध अधिनियम, 1955" जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, लागू है। यह अधिनियम अपने मौजूदा स्वरूप में अप्रभावी सिद्ध हुआ है क्योंकि इसके तहत दोषसिद्धि की दर काफी कम है।

सर्व जन सधारण की सशक्त सामाजिक व धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत राज्य सरकार राज्य में गौवध निषेध को मजबूती प्रदान करने और देशी नस्ल की गायों के संरक्षण एवम् विकास के लिए योजनाएं, परियोजनाएं एवम् कार्यक्रम बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। अतः गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन के क्रियान्वन हेतु एक व्यापक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें मौजूदा अधिनियम का निरसन करते हुए विभिन्न दोषों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान व्यवस्थित है। इसी के अनुरूप हरियाणा विधान सभा के आगामी सत्र में "हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन विधेयक, 2015" विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

ओम प्रकाश धनखड़,
पशुपालन तथा डेयरी उद्योग मंत्री,
हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 9 मार्च, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 की धारा 9 के अनुसार देसी नस्ल की गायों के दूध अथवा दुग्ध उत्पादों के उत्पादन एवं इनके विक्रय हेतु प्रोत्साहन राशि का उपबन्ध है। इस प्रयोजन हेतु खर्च का भुगतान हरियाणा सरकार के राजकोष से किया जायेगा।

2. हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 की धारा 10 के अनुसार अक्षम, धायल, असहाय एवं अर्थहीन गायों की प्राप्ति, रखरखाव एवं देखभाल के लिए संस्था की स्थापना हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने का उपबन्ध है। इस प्रयोजन हेतु खर्च का भुगतान हरियाणा सरकार के राजकोष से किया जायेगा।

3. हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 की धारा 12 के अनुसार गौमांस का अन्य नस्ल के पशुओं के मांस से भिन्नता, दूध एवं दुग्ध उत्पादों की जांच पड़ताल तथा ए 1 व ए 2 दूध में पहचान एवं जांच पड़ताल हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का उपबन्ध है। इस प्रयोजन हेतु खर्च का भुगतान हरियाणा सरकार के राजकोष से किया जायेगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक की धारा 19 अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित के लिये नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करती है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है। अतः प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित संलग्न है।